मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

'उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं' 3
इंद्रा कॉलोनी वाले तलाश रहे हैं नेताओं को 4
अर्णब गोस्वामी ने 44 दिनों में 280 बार माफ़ी माँगी 5
भ्रमित कानून-व्यवस्था के खतरे 6
आरसी बनवाने के दौरान किसके पेट में जाते हैं 30 रुपये 8

वर्ष 34 | अंक 7 | फरीदाबाद | 27 दिसम्बर 2020-2 जनवरी 2021 | फोन-8851091460 | ₹ 3.00

खट्टर के वाहन पर किसानों के डंडे बरसने के लिए 'पुलिस' जिम्मेदार कैसे ?

एसपी राजेश कालिया को हटाया, 13 किसानों पर केस दर्ज

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी पर डंडे क्या पड़े, पुलिस अफ़सरों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस वजह से अंबाला के एसपी राजेश कालिया को हटा दिया गया। हालाँकि वह क़रीब पाँच महीने पहले ही अंबाला से ट्रांसफर होकर आये थे।

किसानों ने 22 दिसम्बर को अंबाला में खट्टर को उस वक्त काले झंडे दिखाये जब सीएम शहर में थे। किसानों ने सिर्फ़ खट्टर को काले झंडे दिखाए बल्कि उनकी गाड़ियों पर डंडे भी बजाये।

आईएएस लॉबी ने इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह पुलिस महकमे पर डाल दी है। खट्टर चाहते हैं कि इस बात की जाँच हो कि आखिर पुलिस अफ़सरों को किसानों की तैयारी की भनक क्यों नहीं थी?

इसी के मद्देनज़र सरकार ने वहाँ के एसपी राजेश कालिया को हटा दिया है। उनकी जगह हामिद अख़्तर को अंबाला का एसपी तैनात किया गया है। हामिद अभी तक सीआईडी में एसपी सुरक्षा थे। अब राजेश कालिया को इसी पद पर सीआईडी में भेजा गया है। हामिद अख़्तर आईपीएस हैं जबकि राजेश कालिया हरियाणा पुलिस सेवा (एचपीएस) हैं।

आमतौर पर पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) ऐसे प्रदर्शनों और आयोजनों की सूचना जुटाती है, जो सरकार विरोधी होते हैं। पूर्व सीएम भजनलाल के वक्त एलआईयू की बहुत बड़ी भूमिका रहती

थी। मौजूदा समय में एलआईयू अपना काम उन पत्रकारों के सहारे चलाते हैं जो ऐसी सूचनाएँ उन्हें दे देते हैं। लेकिन इधर हालात बदल गए हैं। पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार समर्थक बन चुका है, इसलिए अब उन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों में दिलचस्पी रही नहीं। ऐसा प्रदर्शन करने वाले अब गोदी मीडिया की परवाह भी नहीं कर रहे हैं।

अंबाला में जिस जगह किसान प्रदर्शनकारियों ने खट्टर की कार पर डंडे बरसाये, उसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की घोषणा पहले से थी ही नहीं। इस वजह से अंबाला एलआईयू को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आईएएस अफ़सरों ने बड़ी चालाकी से सारी ज़िम्मेदारी पुलिस पर डाल दी। हालाँकि ऐसी सूचनाएँ आईबी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफ़सरों को भी मिलती हैं। अगर उनके संबंध सभी दलों के नेताओं से होते तो ऐसी सूचनाएँ होना सामान्य सी बात है। यह घटना बता रही है कि पूरे राज्य में खट्टर की कमज़ोर पकड़ के कारण सिर्फ पुलिस ही नहीं सारा नागरिक प्रशासन तहस नहस हो चुका है।

सरकार बदला लेने में जुटी

खट्टर सरकार का किसान विरोधी चेहरा लगातार उजागर होता जा रहा है। सरकार के निर्देश पर अंबाला में 13 किसानों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगे से जुड़े आरोप में केस दर्ज किया गया है। हालाँकि राज्य के कई आला अफ़सर इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इससे स्थितियाँ बिगड़ेंगी। अभी जब इन किसानों की गिरफ़्तारियाँ शुरू होंगी तो माहौल और ख़राब होगा।

बता दें कि प्रदेश में अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगम के अलावा कई नगर परिषदों और पालिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसी के चलते मंगलवार को भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला में पहुंचे थे। यहां पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसके थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए वह निकले तो ठीक उसी वक्त किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले को रोक लिया।

पुलिस की ग़लती

हालांकि कहा जा रहा है कि किसान शांतिपूर्वक तरीके काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश की तो इससे किसान भड़क गए। उन्होंने गाड़ियों पर डंडे मारने शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में थे, उस पर भी डंडे मारे। हालात पर काबू करने की जुगत में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की में कई किसानों की पगड़ियां गिर गईं।

यह पुलिस की नहीं खट्टर के नेतृत्व की

विफलता है। जनसैलाब किसी एसपी के रोके से नहीं रुका करते। आजमाकर देखना हो तो खट्टर जी अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल या गृह जिले में रोहतक में भी आजमाकर भी देख लें।

कब गिरफ्तार होगा बीपीटीपी का धंधेबाज काबुल चावला

डिस्कवरी पार्क के फ्लैट खरीददार ठोकरें खाने को मजबूर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े बिल्डर जेलों में हैं, बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क का मालिक काबुल चावला फ्लैट खरीदारों के पैसे से मौज उड़ा रहा है। पिछले हफ्ते बीपीटीपी ने उसका फ्लैट बेचने वाले प्रापर्टी डीलरों और कुछ बेईमान अफसरों के साथ जश्न आयोजित किया। 10 साल से ज्यादा समय से बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क के खरीदार फ्लैट के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन न तो काबुल चावला की कंपनी ने फ्लैट बनाकर सौंपे और न ही उनका पैसा वापस किया। सारे मामले में हरियाणा सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा मूक दर्शक बना हुआ है।

खरीदारों के टूटते सपने

नहर पार यानी ग्रेटर फरीदाबाद में बीपीटीपी के तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर

प्रोजेक्ट को लेकर सरकारी एजेंसियो के पास शिकायतें पहुंची हुई हैं लेकिन सेक्टर 80 के डिस्कवरी पार्क प्रोजेक्ट में तो इस बिल्डर ने सारी हदें पार कर दी हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 2011-12 में बुकिंग शुरू हुई और कंपनी ने 2015 में फ्लैटों का कब्जा देने का वादा लिखित रूप में किया। जब फ्लैट खरीदारों ने दबाव बढ़ाया तो 2018 में बीपीटीपी ने पांच टावर बनाकर खड़े कर दिए। लेकिन इनमें किसी तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गईं, जिनका वादा था। जब इन टावरों में किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई तो फ्लैट खरीदारों ने फ्लैट का कब्जा लेने से इन्कार कर दिया।

हरेरा के अफसरों ने दलाली की भूमिका अदा करते हुए सितम्बर 2019 में बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क के मालिक और फ्लैट खरीददारों में समझौता कराया कि सितम्बर 2020 तक बीपीटीपी सभी टावर पूरा करेगा। खेल क्लब वगैरह जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा। लेकिन उससे पहले फ्लैट खरीदारों को बीपीटीपी पर दायर सारे मुकदमों को वापस लेना पड़ेगा। खरीदारों ने सारे मुकदमे वापस ले लिए और सभी शर्तों के साथ 250 फ्लैट खरीदारों ने सेटलमेंट डीड को स्वीकार किया। कब्जा देने के समय दिया जाने वाला पैसा भी जमा करा दिया।

लेकिन इसके बाद बिल्डर काबुल चावला आपदा को अवसर में बदलने के प्रधानमंत्री मोदी के जुमले को भुनाने में जुट गया। उसने कोविड19 की आड़ लेकर डिस्कवरी पार्क में किसी तरह का कोई काम नहीं कराया। अब फ्लैट खरीदारों पर फ्लैट का कब्जा लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हालात ये हैं कि चार टावर अभी बने ही नहीं है और पहले के बने पांच टावर फ्लैट मालिकों के रहने लायक नहीं हैं। अंदर की सड़कें अभी बनी नहीं हैं। लिफ्ट पूरी तरह से लगी नहीं है। कार पार्किंग आधी-अधूरी है। डिस्कवरी पार्क में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात गार्डों को समय से वेतन नहीं मिलता है। रात की ड्यूटी में सिर्फ दो गार्ड रहते हैं। मेंटिनेंस कर्मचारियों का वेतन अक्सर रुक जाता है। सभी टावरों में बिजली के तार खुले हुए हैं, जो आग लगने की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकते हैं। पहले भी यहां आग लग चुकी है लेकिन उसके

शेष पेज दो पर

जज साहब ऑडी में घूमते पाए गए, सस्पेंड

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक जिला जज को एक आरोपी के निजी लक्जरी वाहन का उपयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया। आरोपी के खिलाफ उसी जज की अदालत में एक याचिका लंबित थी, जिसमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट ने निलंबन आदेश ने कहा कि प्रशांत जोशी, जिला जज, देहरादून, को मसूरी में अदालत में उपस्थित होने के लिए उन्हें मिली सरकारी कार की बजाय ऑडी में यात्रा की। उनके साथ एक बोर्ड के कुछ सदस्य भी थे।

हाई कोर्ट को यह भी पता चला कि ऑडी के मालिक केवल कृष्ण सोइन पर जिला देहरादून में धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी के तहत आरोप केस दर्ज है। उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए अपील भी कर रखी है। आदेश के मुताबिक उक्त कार को मसूरी के हाई कोर्ट गेस्ट हाउस के बाहर पाया गया, जहाँ आमतौर पर कैंप कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय ने अपने निलंबन आदेश में कहा कि यह अधिकारी न्यायिक अधिकारी पद के योग्य नहीं है।